राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– /0120/अ–20(3)/2024–25

क्षेत्रीय महाप्रबंधक वेकोलि पेंच एरिया परासिया विरूद्ध म0प्र0 शासन

1	2	3
19/07/2024	प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति छिन्दवाड़ा से प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वेलोलि, पेंच क्षेत्र परासिया द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत कर विष्णुपरी युजी से ओसी कोयला खदान हेतु उपयोग में आ रही 135.008 हे0 वन भूमि के बदले मौजा सेठिया तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 3, 54/1, 68, 59 रकबा क्रमशः 12.504, 5.261, 2.873, 10.874 हे0 कुल 31.51 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिला नजूल निर्वर्तन समिति, छिन्दवाड़ा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक 71/2024 दिनांक 19/07/2024 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया द्वारा की गई अनुशंसा एवं जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विष्णुपरी युजी से ओसी कोयला खदान हेतु उपयोग में आ रही 135.008 हे0 वन भूमि के बदले ग्राम सेठिया तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 3 रकबा 12.504 हे0 में से 9.000 हे0, खसरा नंबर 54/1 रकबा 5.561 हे0 में से 4.761 हे0, खसरा नंबर 68 रकबा 2.873 हे0 में से 2.373 हे0, खसरा नंबर 59 रकबा 10.874 हे0 कुल रकबा 27.008 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में वर्णित प्रावधानों के तहत म0प्र0शासन वन विभाग (वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा) को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदाय की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया द्वारा उनके राजस्व प्रकरण क्रमांक 0038/अ–20(3)/2024–25 प्रतिवेदन दिनांक 11.07.2024 में तहसीलदार परासिया, वन विभाग व वेकोलि के संयुक्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम सेठिया तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 3 रकबा 12.504 हे0 में से 9.000 हे0, खसरा नंबर 54/1 रकबा 5.561 हे0 में से 4.761 हे0, खसरा नंबर 68 रकबा 2.873 हे0 में से 2.373 हे0, खसरा नंबर 59 रकबा 10.874 हे0 भूमि विष्णुपरी युजी से ओसी कोयला खदान हेतु उपयोग में आ रही आवश्यक वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रकरण का अद्योपांत अवलोकन किया गया। ग्राम सेठिया तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 3 रकबा 12.504 हे0 में से 9.000 हे0, खसरा नंबर 54/1 रकबा 5.561 हे0 में से 4.761 हे0, खसरा नंबर 68 रकबा 2.873 हे0 में से 2.373 हे0, खसरा नंबर 59 रकबा 10.874 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग	

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– /0120/अ–20(3)/2024–25

क्षेत्रीय महाप्रबंधक वेकोलि पेंच एरिया परासिया विरूद्ध म0प्र0 शासन

1	2	3
	को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में इश्तेहार का प्रकाशन किया गया। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। आवेदित भूमियां वर्तमान राजस्व अभिलेख में बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है। आवेदित भूमियों का राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें आवेदित भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल निर्वर्तन समिति, छिन्दवाड़ा की स्वीकृति एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया द्वारा की गई जॉच एवं अनुशंसा से सहमत होते हुए विष्णुपरी युजी से ओसी कोयला खदान हेतु उपयोग में आ रही 135.008 हे0 वन भूमि के बदले सेठिया तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि ख0नं0 3 रकबा 12.504 हे0 में से 9.000 हे0, खसरा नंबर 54/1 रकबा 5.561 हे0 में से 4.761 हे0, खसरा नंबर 68 रकबा 2.873 हे0 में से 2.373 हे0, खसरा नंबर 59 रकबा 10.874 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में वर्णित प्रावधानों के तहत म0प्र0शासन वन विभाग (वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा) को हस्तांतरित की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया एवं तहसीलदार परासिया को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य वन विभाग के पक्ष में सौंपा जावे। कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत कराना सुनश्चित करें। आदेश की प्रति सर्वसंबंधितों को भेजी जावे। प्रकरण नस्ती, जिला अभिलेखागार जमा होवे। (शीलेन्द्र सिंह) कलेक्टर, जिला–छिन्दवाड़ा	